

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि. प्रा. (III) यो. – 15/2016-

/पटना, दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक), बिहार,
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – नालन्दा जिला में स्थापित एवं संचालित नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के द्वितीय चरण में प्रस्तावित भवनों के निर्माण एवं बाह्य विद्युतीकरण सहित परिसर विकास कार्यों के लिए कुल रु. 3564.00 लाख (पैंतीस करोड़ चौंसठ लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पत्रांक—2018 /PDA, दिनांक 29.11.2017 के आलोक में नालन्दा जिला में स्थापित एवं संचालित नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के द्वितीय चरण में प्रस्तावित भवनों के निर्माण एवं बाह्य विद्युतीकरण सहित परिसर विकास कार्यों के लिए कुल रु. 3564.00 लाख (पैंतीस करोड़ चौंसठ लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम बजट के “मुख्य शीर्ष—4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष—105 –इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या—43, उपशीर्ष—0102–पोलिटेक्निक / इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय” के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–4202021050102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव (निदेशालय), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना से की जायेगी तथा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना स्थित प्रबंध निदेशक आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के नाम से पी.एल. खाता नं. PLA 268 (K8448001200029) में बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या—3758वि, दिनांक 31.05.2017 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 01.03.2018 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या—16 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक— 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ —
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा. (III) यो. – 15/2016—

/पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ —
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा. (III) यो. – 15 / 2016–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा. (III) यो. – 15 / 2016–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.03.2018 को मद संख्या– 16 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा. (III) यो. – 15 / 2016–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना को उनके पत्रांक–2018/PDA, दिनांक 29.11.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा. (III) यो. – 15 / 2016–

/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्राचार्य, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा. (III) यो. – 15 / 2016–

628 /पटना, दिनांक– ७/३/०१८

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव/उप निदेशक (यो)/उप निदेशक (क.)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/बजट सहायक/आई.टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.03.18
सरकार के उप सचिव

८/३/०६/०३/१८

